दिनांक- 30.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 463/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 30.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 30.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 464/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़-थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी क्षेत्र के नगाराघाट में अवैध तमंचा लहराने वाले आरोपी युवक को पनवाड़ी पुलिस टीम ने 24 घंटे में किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 29.07.2026 को सोशल मीडिया पर थाना पनवाड़ी क्षेत्र के ग्राम नगारा से एक युवक द्वारा हाथ में अवैध तमंचा लहराते हुए वायरल वीडियो संज्ञान में आया, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में थाना प्रभारी व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा गठित टीम, उ0नि0 नरेन्द्र कुमार मय हमराह का0 कुलदीप शुक्ला व रि0का0 संदीप कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान आज दिनांक 30.07.2026 को बुडेरा रोड स्थित नहर पुलिया (लोधीपुरा मार्ग) के पास से अभियुक्त जगभान रैकवार उर्फ जग्गू पुत्र भानुप्रताप रैकवार, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम नगाराघाट थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जगभान रैकवार उर्फ जग्गू पुत्र भानुप्रताप रैकवार, उम्र 26 वर्ष निवासी: ग्राम नगाराघाट, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार

2.का0 कुलदीप शुक्ला

3.रि0का0 संदीप कुमार

महोबा पुलिस

दिनांक- 30.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 465/26

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की समीक्षा की गई

दिनांक 29.07.2026 की देर रात्रि को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन सभागार में मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी एवं शाखा प्रभारियों के साथ कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं प्रचलित अभियानों की विस्तृत एवं बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी, आईजीआरएस प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, ऑपरेशन दहन तथा निरोधात्मक कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को और अधिक सक्रिय एवं सुदृढ़ बनाया जाए तथा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखी जाए। अवैध शस्त्र, जुआ, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गुंडा एक्ट एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आगामी त्योहारों एवं चुनावी वर्ष के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील स्थलों पर नियमित एवं प्रभावी रात्रि गश्त, डायल-112 के हॉटस्पॉट स्थलों पर पुलिस की अधिकतम विजिबिलिटी तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने पर विशेष बल दिया। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की सतत निगरानी रखते हुए किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु पूर्ण रूप से तैयार रहने तथा सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखते हुए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को चुनावी वर्ष के दृष्टिगत नियमित रूप से ग्राम चौपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित करने, क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने तथा मुखबिर तंत्र को और अधिक विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं आत्मविश्वास की भावना को सुदृढ़ करने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।

मासिक सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए तथा पुलिस बल के कल्याण एवं मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

गोष्ठी के उपरांत निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदत्त "सराहनीय सेवा पदक" से अलंकृत किए जाने पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनके उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्यों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी गईं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी, समस्त शाखा प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधि./कर्म. मौजूद रहे।

महोबा पुलिस

दिनांक- 30.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 466/26

साइबर अपराधों की रोकथाम व प्रभावी नियंत्रण हेतु महोबा पुलिस की सशक्त पहल, पुलिस लाइन अवस्थित लैब में साइबर सेल प्रभारियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण-

आज दिनांक 30.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम, त्वरित अनावरण एवं पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के साथ पुलिस लाइन स्थित साइबर लैब में जनपद के समस्त थानों में संचालित साइबर सेल के प्रभारी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारियों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करते हुए साइबर अपराधों की बदलती प्रवृत्तियों, उनके त्वरित एवं वैज्ञानिक अनावरण, डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण एवं विश्लेषण, तथा आधुनिक तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही, साइबर अपराधों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने एवं पीड़ितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

उक्त प्रशिक्षण के माध्यम से साइबर सेल प्रभारियों की तकनीकी दक्षता, जांच क्षमता एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया, जिससे जनपद में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

इस अवसर पर साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह सहित जनपद के समस्त थानों में संचालित साइबर सेल के प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

महोबा पुलिस जनपदवासियों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

दिनांक 27.07.2026 को डायल-112 के माध्यम से समय करीब 09.30 बजे थाना कबरई के मुहल्ला विशाल नगर में पडोसियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद/मारपीट किये जाने की सूचना प्राप्त हुयी थी जिस पर पीआरवी टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया तथा पीडित को साथ चलकर थाना कबरई पर शिकायत दर्ज कराने हेतु बताया गया जिस पर पीडित द्वारा शौच क्रिया तथा रात्रि का समय बताते हुये सुबह थाना आने का आश्वसन दिया गया पीडित अपना उपचार कराने हेतु जिला अस्पताल महोबा आया जहां से बेहतर उपचार हेतु प्राइवेट हास्पिटल ग्वालियर में कुछ दिन इलाज कराया तथा पुनः वापस आकर जिला अस्पताल महोबा में अपना इलाज करा रहा था जहां दौराने उपचार उनकी दुखद मृत्यु हो गयी। प्राप्त फौती सूचना के आधार पर थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।